जमानत आवेदन क्र.— 59 / 2026
नरवेर सिंह वि. म.प्र. राज्य

**न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)**
**(पीठासीन अधिकारी — ब्रजेश गोयल)**

**जमानत आवेदन क्र.—59 / 2026**
**सी.एन.आर.— एम.पी. 1406000318 / 2026**
**फाईलिंग नंबर—बी.ए. / 266 / 2026**

| | |
|---|---|
| **01.** | **नरवेर सिंह पिता मलूक सिंह जाट, आयु— 40 वर्ष, निवासी— मकान नं. 56, वार्ड नं. 12, खेड़ी दाबन, कैथल, दुसेरपुर, हरियाणा** |
| | **.........आवेदक / अभियुक्त** |
| | **विरूद्ध** |
| | **म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)** |
| | **.......... अनावेदक / राज्य** |

**30-04-2026**

| **प्रकरण की जानकारी** | |
|---|---|
| अपराध क्रमांक | 356 / 2018 |
| थाना | थाना भानपुरा |
| धारा | 8 / 15 एन.डी.पी.एस. एक्ट |
| प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 दं.प्र.सं. दिनांक | 24.04.2026 |
| अपराध का दिनांक | 16.09.2018 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज दिनांक | 16.09.2018 |
| आपराधिक रिकार्ड | थाना भानपुरा के अपराध क्र. 65 / 2026 अंतर्गत धारा 8 / 15, 22 व 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं थाना ए.एन.टी.एफ. के अपराध क्र. 102 / 2025 अंतर्गत धारा 27, 18 व 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट |
| गिरफ्तारी दिनांक | 21.04.2026 |
| अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक | — |

आवेदक / अभियुक्त नरवेर सिंह की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान अधिवक्ता उपस्थित।

जमानत आवेदन क्र.— 59 / 2026
नरवेर सिंह वि. म.प्र. राज्य

म.प्र. राज्य की ओर से श्री हरिवल्लभ पाटीदार अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण आज जमानत आवेदन पत्र पर तर्क / विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र भानपुरा के अपराध क्र. 356 / 2018 म.प्र. राज्य वि. नरवेर सिंह अंतर्गत धारा 8 / 15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन तथा संबंधित रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त।

उभयपक्ष को सुना।

अभियुक्त की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने उसके विरूद्ध झूठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उससे कोई मादक पदार्थ व वाहन जब्त नहीं हुआ है। वह रजिस्टर्ड स्वामी नहीं है। वह दिनांक 21.04.2026 से अभिरक्षा में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2018 की होकर 08—09 वर्ष पुरानी है और उसमें अज्ञात वाहन से मादक पदार्थ जब्त होना बताया गया है। उससे जब्त मादक पदार्थ कॉमर्शियल क्वांटिटी का नहीं है। पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। वह मकान नं. 56, वार्ड नं. 12, खेड़ी दाबन, कैथल, दुसेरपुर, हरियाणा का स्थाई निवासी है। उसे गिरफ्तारी के समय संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं दी गई। वह परिवार का मुख्यकर्ता है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण आजन्म कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। जमानत मिलने पर अधिरोपित शर्तों का पालन करेगा। इन आधारों पर अभियुक्त को योग्य प्रतिभूति पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के समर्थन में रणजीत सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य की ओर से श्री हरिवल्लभ पाटीदार अपर लोक

अभियोजन ने अभियुक्त की जमानत पर छोड़े जाने का विरोध किया है।

आरक्षी केन्द्र भानपुरा के अपराध क्र. 356/2018 की अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 16.09.2018 को सफेद रंग की मारूति सुजुकी एसएक्स4 वीडीआई कार से एक क्विंटल तीस किलो डोडाचूरा जब्त किया गया है। कार को जब्त किये जाने के पूर्व उसके चालक एवं उसमें बैठे अन्य व्यक्ति को भाग जाना बताया गया है। प्रश्नगत कार अभियुक्त नरवेर सिंह के स्वामित्व की होना बताई गई है। घटना दिनांक को उसने उक्त कार को अपने मित्र हरदीप सिंह के द्वारा चलाया जाना बताया है। अभियुक्त नरवेर सिंह प्रश्नगत कार का स्वामी है। वाहन का उपयोग अवैध डोडाचूरा के परिवहन के लिये किया जाना बताया गया है। जब्तशुदा डोडाचूरा, डोडाचूरा की वाणिज्यिक मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक है। धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान के अनुरूप ऐसी कोई अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि उक्त वाहन में डोडाचूरा परिवहन किये जाने में अभियुक्त नरभैर सिंह की कोई भूमिका नहीं है। जमानत पर छोड़े जाने के उपरांत वह समान प्रकार के अपराध नहीं करेगा। ऐसी भी कोई समानाधप्रद सामग्री भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त नरवैर सिंह को हरियाणा के प्रकरण क्र. 102/2025 अंतर्गत धारा 27, 18 एवं 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सेंट्रल जेल पटियाला में निरोध में होना बताया गया है अर्थात् पूर्व से उसके विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इन सभी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त **नरवेर सिंह** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से उक्त आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जावे।

आदेश की प्रति रिमाण्ड पत्रावली में संलग्न की जावे।

जमानत आवेदन क्र.– 59/2026
नरवेर सिंह वि. म.प्र. राज्य

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा कराया जावे।

Sd/-

**(ब्रजेश गोयल)**
विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट
भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

BRAJESH GOYAL

Digitally signed by BRAJESH GOYAL
Date: 2026.04.30 17:04:45 +0530